तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **ईशा वगैरह बनाम भीखा वगैरह, मुकदमा संख्या :– 108 / 2014**	
24.07.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सरवाना के खसरा संख्या 1108 / 1588 रकबा 5.53, खसरा संख्या 1110 रकबा 2.13 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.66 हैक्टेयर आये हुए है। पुराने खसरा संख्या 552 रकबा 32 बीघा 16 बिस्वा से सृजित किये गये है। प्रार्थीगण के पिता ठारू व उसके भाई गाजी, जीवा तथा अप्रार्थी भीखा, कासम के पिता अब्दुला के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। अप्रार्थीगण भीखा व कासम के पिता अब्दुला ने अपने हिस्से का बेचान रजिस्ट्री के सन 1963 को बेचान कर दिया था। अप्रार्थीगण भीखा, कासम के पिता अब्दुला ने अपने हिस्से में आई 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया था, जिसका म्यूटेशन में अमरसिंह पुत्र भलसिंह राजपुत सरवाना के नाम खोला जाकर नामान्तरकरण किया गया। अप्रार्थीगण भीखा व कासम के पिता अब्दुला ने अपने हिस्से में आई पुरी आराजी अमरसिंह को बेचान कर दी। अप्रार्थी भीखा व कासम के पिता अब्दुला से मिलावट कर अब्दुला का नाम अमरसिंह के नाम म्यूटेशन खोलने के बावजूद उक्त आराजी में बदस्तूर जारी रखा। जबकि अप्रार्थीगण के पिता ने अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि बेचान कर दी थी। अप्रार्थीगण भीखा कासम के पिता अब्दुला के नाम से उक्त आराजी में गलत रूप से बदस्तुर जारी रखा गया था, जिसके कारण अब्दुला के फौत होने पर अप्रार्थी भीखा व कासम के नाम म्यूटेशन खोला गया। प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 1108 / 1588, 1110 जुमले रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है जिसमें प्रार्थीगण के रहवास हेतु ढाणी भी बनी हुई है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त में बेदखल करने पर आमादा है तथा जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व संपूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया था, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। यदि ऐसा करने में अप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन अंकों में नहीं आंका जा सकेगा। इस प्रकार तीनो मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता ने कभी भी बेचान कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जे का कोई हस्तांतरण नहीं किया है। मौके पर रहवासीय, ढाणियां व कब्जा काश्त शांतिपूर्ण मौके पर मौजूद है जिससे सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के विरूद्व है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि बेचान करने में प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार तीनों मूलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थीगण के विरूद्व है। जिससे प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मनगढंत, गलत व बेबुनियाद होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलेक्टर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) साचौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 15:57:21 IST
Reason: SelfAttested